UPGK010047602026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2049/2026

धीरेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन पुत्र जोखन यादव, निवासी ग्राम- कुड़वा, थाना- चिलुवाताल, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 247/2026
अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S.
थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 01.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12/03/2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा, उनका भाई ब्रजमोहन मीणा व दलाल बन्टी गुर्जर तीनों लोग दुल्हन लेने बिहार गये थे व अपने साथ दो लाख पचास हजार रूपया लेकर गये थे। वहां जाकर ब्रजमोहन मीणा की शादी भी करवा दी, जिसका फोटो वादी के वाट्सएप पर भी डाल दिया गया। दिनांक 13.03.2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा के नंबर से फोन आया कि दुल्हन व दलाल पैसे लेकर भाग गये है तथा उसे व उसके भाई को बंधक बना लिये है। एक लाख रूपये मेरे नंबर पर डाल दो तो ये लोग उसे छोड़ देंगे। एक लाख रूपये की मांग वादी के जीजा के नंबर से कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष व बेकसूर है, फर्जी तौर पर मुकदमें में फंसाया गया है। घटना का कोई समय तथा कोई तिथि प्रथम सूचना में अंकित नहीं है। प्रथम सूचना में प्रार्थी को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है और न ही प्रार्थी का शिनाख्त

कराया गया है। सूचना दिनांक-09.04.2026 को शाम की कहीं जाती है। सूचनाकर्ता राहुल मीणा उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। सूचनाकर्ता राहुल मीणा राजस्थान का रहने वाला है। प्रार्थी का कोई जान पहचान घटना के पूर्व से सूचनाकर्ता से नहीं है और न ही जानता व पहचानता है। प्रथम सूचना में अभियुक्तों में अज्ञात शब्द दर्ज है। अभियोजन का कथन है कि सूचनाकर्ता के बहनोई का भाई ब्रजमोहन मीणा की शादी नहीं हुई थी, शादी के सिलसिले में लड़की खोज रहा था। सूचनाकर्ता के बहनोई मुकेश मीणा व उसका भाई ब्रजमोहन मीणा और दलाल बन्टी गुर्जर जो राजस्थान के रहने वाले है, जो दुल्हन को लेने के लिए विहार गये थे और अपने साथ दो लाख पचास हजार रूपये लेकर गये थे। दिनांक-13/03/2026 दिन शुक्रवार को सूचनाकर्ता के फोन पर मुकेश मीणा का फोन आया कि दुल्हन और दलाल पैसा लेकर भाग गये है मुझे और मेरे भाई को बन्धक बना लिए है। यह भी सूचना दिया कि एक लाख रूपया मेरे जीजा जी के फोन नम्बर से कोई अन्य व्यक्ति फोन कर मांग रहा है। बार-बार फोन आने पर सूचनाकर्ता ने एक लिखित सूचना थानाध्यक्ष अनन्तपुरा, कोटा, राजस्थान में दाखिल किया जो जीरो FIR में अंकित हुई। चना दर्ज होने के बाद सूचना थाना-चिलुवाताल, जिला-गोरखपुर में भेज दी गयी। थाना-चिलुवाताल की पुलिस दिनांक-09.04.2026 को प्रार्थी के घर से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के पहले ग्राम-उसका, थाना-चिलुवाताल, जो उत्तरी राजेन्द्र नगर, थाना-गोरखनाथ के रहने वाले अंकुर सिंह को दिनांक-08.04.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया था। मुकदमा में बल देने के लिए दलालो के साथ थानाध्यक्ष चिलुवाताल, अंकुर सिंह के घर राजेन्द्र नगर, गोरखनाथ, गोरखपुर गये और दलाल के माध्यम से अंकुर की माँ से पैसे की मांग की और कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया तो अंकुर सिंह को गोली मार दिया जायेगा, उसकी पत्नी विधवा हो जायेगी और तुम पुत्र विहीन हो जाओगी, और पैसे की मांग किया। अंकुर सिंह के पिता स्व० मोलहू सिंह PWD में सरकारी कर्मचारी थे और मरते समय अपने पत्नी को जीवन यापन के लिए रूपया दिये थे। अंकुर सिंह की माँ पुत्र मोह में दिनांक-09.04.2026 को अपना फिक्स धन जो यूनियन बैंक गोरखपुर में थे, उसे तोड़वाकर 1,00,000/- (एक लाख रूपया) निकालकर दलालों के माध्यम से थानाध्यक्ष चिलुवाताल को दिया और थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि अंकुर सिंह का नाम मुकदमें से निकाल दिया जायेगा। अकुर सिंह की मां से पैसा लेने के बाद उसी पैसों को अंकुर के पास 95,000/- रूपये बरामदगी दिया और साक्ष्य पैदा किया। प्रार्थी से भी 56,000/- रूपये की मांग की गयी, प्रार्थी के पट्टीदार चिंता यादव ने 56,000/- रूपये पुलिस वालो को दिया और उसी पैसों का 55,000/- रूपये बरामदगी दिखा करके प्रार्थी के खिलाफ साक्ष्य बनाया गया। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/

अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा एवं उनके भाई को सदोष परिरोध में रखकर उनके साथ लूट का प्रयत्न किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा व उनके भाई का सदोष परिरोध कर उनके साथ छल द्वारा प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करते हुए लूट का प्रयत्न करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित पीडित साक्षी मुकेश मीणा के बयान के अनुसार सहअभियुक्त द्वारा उसकी शादी नीलम से कराने के बाद आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए उस पर लड़की खरीदने का आरोप लगाकर मारा पीटा गया तथा एक कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया गया और उनसे ढाई लाख रूपये भी छीन लिये गये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक ही गाड़ी से गिरफ्तार किया गया है एवं उनके कब्जे से उ०प्र० पुलिस के फर्जी परिचय पत्र भी मिले है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से अभियुक्त की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शित होती है। मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त धीरेन्द्र यादव उर्फ टुनटुन द्वारा मु०अ०सं०-247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-01.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.01 16:16:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court